

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 21 अप्रैल 2017

विषय:- एटा-अलीगंज मार्ग (एमडीआर-98) किमी० चैनेज 23.978 की बायीं पटरी पर ग्राम सोसा के गाटा सं०-680 स में आई०ओ०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07291 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में ।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1737/एटा/19809/2016 दिनांक 20-02-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में निम्न 02 बिन्दुओं पर आख्या सहित संगत अभिलेख अपेक्षित है*-

1. क्या प्रस्तावित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश दिनांक 11-7-2014 में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया गया है।
2. प्रस्ताव में रक्षित उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दिसम्बर 2016 में ही समाप्त हो चुकी है।

कृपया तदनुसार अपेक्षित सूचनार्यें एवं तत्संबंधी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।